

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-03/विविध-06-198...../

राँची, दिनांक :/

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश सं-1970 दिनांक 14.06.2019 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम सं0-01, 03 एवं 04 पर अंकित कनीय अभियंताओं क्रमशः विवेक कुमार मौर्य, श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री चन्द्रकान्त चन्दन को की गयी प्रतिनियुक्ति को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह0/-

(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 2028

राँची, दिनांक :- 20/6/19

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री, (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/ भागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/संबंधित सभी कोषागार/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विनय कुमार बरनवाल)
सरकार के अवर सचिव।